

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक एफ.20(191)/निजमूस/PFC/2015/11407-11442 दिनांक : 9.12.15

परियोजना प्रबंधक समस्त,
वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद समस्त।

विषय : "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत चयनित आईडब्ल्यूएमपी
(2010-11) की परियोजनाओं में, मदेवार राशि के डायवरजन बाबत।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.20(49)/निजमूस/पीएफसी/2013-14
/8786-8820 दिनांक 30.09.2015

उपरोक्त त्रिषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको
"मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत चयनित आईडब्ल्यूएमपी (2009-10) की
परियोजनाओं में लाईवलीहुड, उत्पादन एवं फलैक्सी फण्ड में यदि कोई बचत संभावित है
तो उस राशि को एन.आर.एम. गतिविधियों हेतु उपयोग में लिये जाने की अनुमति प्रदान की
गई थी।

इस क्रम में लेख है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन "मुख्यमंत्री जल
स्वावलम्बन अभियान" अंतर्गत चयनित आईडब्ल्यूएमपी (2010-11) की परियोजनाओं में भी
लाईवलीहुड, उत्पादन एवं फलैक्सी फण्ड में यदि कोई बचत संभावित है तो उस राशि को
एन.आर.एम. गतिविधियों हेतु उपयोग में ली जा सकती है।


(अनुराग भारद्वाज)
निदेशक


क्रमांक एफ.20(191)/निजमूस/PFC/2015/11407-11442 दिनांक : 09.12.15

अपि निम्न को सूचनार्थ :-

विशेष सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।

पिंडा कलेक्टर, समस्त।

TD (IWMMP)


अतिरिक्त निदेशक
(आईडब्ल्यूएमपी)